न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–30/2021 (2021/59) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. कचंनकवंर पिता रंगलाल ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. कवंरलाल आत्मज कजोड़ खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. समदा पुत्री कवंरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. विमला पुत्री कवंरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रतन आत्मज कवंरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बक्षुराम आत्मज कवंरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मीना पुत्री कवंरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. कन्हैयालाल आत्मज कवंरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. जमनालाल आत्मज देवा सुथार निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भोजा आत्मज देवा सुथार निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. पर्वत सिंह – प्रार्थीया अधिवक्ता

निर्णय दिनांक–01.04.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 818 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 4816/820 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 821 रकबा 0.32 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 है0 भुमि खाता संख्या 48 पर दर्ज है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीया को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब [illegible] है। प्रार्थीया ने दिनांक 17.02.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन [illegible] हो गये, जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस [illegible] मे दिनांक 15.03.[illegible] को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:19 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीया खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 818 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 4816/820 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 821 रकबा 0.32 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 है0 भुमि खाता संख्या 48 पर दर्ज है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भु–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/–रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें और मौके पर बिना किसी के कब्जे में दखल किये सीमांकन कराया जावे तथा मौके पर खातेदार के अलावा अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे तो पर्चा मौका में इसका अंकन करते हुए उस कब्जे शुदा रकबे को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट में पेश करे एवं खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1.4.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—30 / 2021 (2021 / 59) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. कचंनकवंर पिता रंगलाल ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. कवंरलाल आत्मज कजोड़ खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. समदा पुत्री कवंरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. विमला पुत्री कवंरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रतन आत्मज कवंरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बक्षुराम आत्मज कवंरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मीना पुत्री कवंरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. कन्हैयालाल आत्मज कवंरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. जमनालाल आत्मज देवा सुथार निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भोजा आत्मज देवा सुथार निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट</u>

प्रेषित :—<u>तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्</u>

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीया के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 01.04.2021 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 818 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 4816 / 820 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 821 रकबा 0.32 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 है0 भुमि खाता संख्या 48 पर दर्ज है।

इस हेतु प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200 / —रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500 / —रूपये सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीया की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो [illegible] उसको नजरी नक्षा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय [illegible] के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज [illegible] 01.04.2021 [illegible] मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:19 IST
Reason: SelfAttested

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा